

(1) सिविल अपील क्रमांक: 34 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

सिविल अपील क्रमांक: 34 / 14  
संस्थापन दिनांक 23 / 6 / 2010

श्रीमती जुम्मीबाई पत्नी करीम खां,  
आयु 62 साल निवासी वार्ड नंबर-9 गोहद  
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश .....अपीलार्थी/वादी

### ब ना म

अनिल कुमार पुत्र रामसेवक आयु 40 साल  
निवासी वार्ड नंबर-11 परगना गोहद जिला भिण्ड  
..... अनावेदक/रेस्पोंडेंटगण/प्रतिवादी

---

अपीलार्थी/वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी क.-1 द्वारा श्री एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता

---

न्यायालय-श्री सुशील कुमार, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद, जिला भिण्ड  
द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-16ए/2010ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक  
30/4/2010 से उत्पन्न सिविल अपील

---

—::— ति र्ण य —::—

(आज दिनांक 05 सितंबर, 2014 को घोषित किया गया)

1. अपीलार्थी/वादी की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 16 ए/2010 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 30/4/2010 से विछुब्द होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादी के वाद को निरस्त किया गया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी/अपीलार्थी एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी आपस में पड़ौसी हैं, एवं उनके मकानों के मध्य सार्वजनिक रास्ता निकला है ।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादी/अपीलार्थी ने 28/1/92 को नाथू पुत्र

परसादी से एक मकान की जगह खरीदी थी, जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में नगर पालिका की भूमि, पश्चिम में गली तथा पूर्व में वादिनी का मकान स्थित है। वादिनी/अपीलार्थी ने जगह क़य करने के पश्चात विधिवत नगर पालिका गोहद से भवसन निर्माण की स्वीकृति ली, व भवन निर्माण किया। निर्माण के समय उसने अपनी जगह में से गली की ओर 5 फुट जगह छोड़ दी, जो वादिनी एवं अन्य लोगों के आवागमन के लिए सुरक्षित रखी थी, जो इस प्रकरण में विवादित गली है। इस वादग्रस्त गली के पश्चिम में प्रतिवादी का चौरस प्लॉट स्थित है, विवादित गली में प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, ना ही वर्ताव है। इस गली में वादिनी के मकान, बरसाती परनाले का पानी गिरता है तथा मकान में हवा के लिए ईंटों की खिड़की बनी है।

4. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने बिना किसी स्वत्व के अवैधानिक रूप से अपने प्लॉट में वादग्रस्त गली की जगह को शामिल कर आइडिया कंपनी से टावर का अनुबंध कर लिया है, इस संबंध में वादिनी/अपीलार्थी को 17/3/08 को जानकारी होने पर उसने प्रतिवादी से निर्माण नहीं करने के बारे में कहा तो प्रतिवादी/प्रत्यर्थी स्वयं का स्वत्व विवादित जगह पर बताने लगे और वादिनी/अपीलार्थी के स्वत्व से इंकारी करने लगे। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी मिल मालिक होकर धनी व्यक्ति है, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने वादिनी पर दवाब बनाने के लिए पुलिस गोहद में इस संबंध में रिपोर्ट की तो पुलिस गोहद ने वादिनी/अपीलार्थी को विवादित गली में निर्माण कार्य से ना रोकने व आइडिया कंपनी का टावर निर्माण करने से नहीं रोकने की हिदायत दी। इसलिये स्वयं के स्वत्व की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गयी है।
5. प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने अपने पृथक-पृथक जवाब में विरोध करते हुए यह व्यक्त किया है कि वादिनी द्वारा जितनी जगह खरीदी गयी थी, उससे अधिक जगह में गली का भाग दबाकर भवन निर्माण किया है। वादिनी/अपीलार्थी ने दक्षिण दिशा की ओर नगर पालिका की भूमि भी दवा ली है, जिसके कारण विवादित गली की चौड़ाई 05 फुट से कम रह गयी है। वादी का कोई आवागमन गली में से नहीं होता है, वादिनी/अपीलार्थी के भवन का आवागमन उत्तर की ओर आम रोड से है, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का आवागमन विवादित गली से ही होता रहा है, वादिनी ने प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को अनावश्यक नाजायज रूप से परेशान करने की नीयत से विवाद पैरा किया है, वादिनी ने जो मानचित्र पेश किया है, वह गलत होकर मौके के विपरीत है सही मानचित्र उसके द्वारा पेश किया जा रहा है।
6. प्रतिवादी ने आइडिया कंपनी से कोई अनुबंध नहीं किया, बल्कि उसकी मां ने खरीदे गये प्लॉट पर अनुबंध किया था। जिसके आधार पर अनुबंध वाली जगह पर टावर बन गया और काम कर रहे हैं।

वादिनी/अपीलार्थी को प्रस्तुत वाद के माध्यम से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वादिनी/अपीलार्थी ने गलत आधारों पर दावा पेश किया है, उसका वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर बादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर आलोच्य निर्णय पारित कर वादी/अपीलार्थी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलार्थी ने उक्त अपील पेश की गई ।

8. वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि वादिनी/अपीलार्थी ने अपने वादपत्र के समर्थन में प्र.पी.-1 लगायत-4 के रूप में नगर पालिका गोहद की भवन निर्माण मंजूरी एवं भवन निर्माण नक्शा, बयनामा पेश किया है, जिसमें अपीलार्थी/वादिनी के स्वत्व आधिपत्य का उल्लेख है, और वादिनी/अपीलार्थी का दावा पुष्ट होता है । जिन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचार ना कर भारी भूल की है । प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य है । अतः उपधारणा वादी के पक्ष में निकाली जायेगी, वादी/अपीलार्थी ने साक्षी गफूर खां का कथन कराया है, जिसने दावा को प्रमाणित कर उसकी पुष्टि की है, फिर भी वादी का दावा निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना साक्ष्य का मूल्यांकन किए बिना ही त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है । अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर काबिल निरस्ती योग्य होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।

9. उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

- 1- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
- 2- क्या अपील स्वीकार की जाकर वादी/अपीलार्थीगण के हक में स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किए जाने योग्य है ?

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2**

10. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय

प्रश्नों का निराकरण पुनर्वाचन न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया।

11. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक सिविल मामलों का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है ना कि संदेह के आधार पर जैसा कि दाण्डिक विधि में है इसलिये प्रतिवादी/प्रत्यर्थी अनिल कुमार प्र०सा०-1 और उसके साक्षी केदारनाथ गुप्ता प्र०सा०-2 के आपस में चाचा भतीजे होने के आधार पर रिश्ते के साक्षी के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है हालांकि केदार प्र०सा०-2 के अभिसाक्ष्य पैरा-6 में उसने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त गली उसने देखी नहीं है और उसे कोई जानकारी भी नहीं है उसके अभिसाक्ष्य के तथ्यों में अनभिज्ञता प्रकट होती है ऐसे में तथ्यों की अनभिज्ञता के चलते उक्त साक्षी केदारनाथ गुप्ता के अभिसाक्ष्य का कोई विधिक मूल्य नहीं रह जाता है किन्तु सुस्थापित विधिक सिद्धान्त मुताबिक वादी को अपने वादाधार प्रमाणित करना होता है और वह प्रतिवादी की किसी भी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है अर्थात् केदारनाथ के साक्ष्य को अग्राह्य करने के आधार पर वादी/अपीलार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार की उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है और यह देखना होगा कि जिन आधारों को लेकर वादी/अपीलार्थी ने उक्त मूल वाद पेश किया है और अपील में जो आधार उठाये गये वह उसकी मौखिक व दस्तावेजी प्रस्तुत की गई है साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित और स्थापित होते हैं अथवा नहीं मूलतः वादी अपीलार्थी ने यह आधार लिया है कि उसके मकान के पश्चिम में अर्थात् प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के मकान के पूर्व दिशा की ओर गली है जिसमें आधी गली सरकारी है और आधी उसने अपने प्लॉट में से छोड़ी है सार्वजनिक गली होना प्रत्यर्थी/प्रतिवादी भी स्वीकार करता है किन्तु उसने इस बात से इंकार किया है कि उसके द्वारा विवादित गली में कोई अतिक्रमण कर निर्माण कर गली को बंद किया है और उसने वादी के स्वत्व आधिपत्य की कोई गली पश्चिम दिशा में विद्यमान होने से वादी/अपीलार्थी के द्वारा कयशुदा भूमि से अधिक भूमि पर निर्माण करके दीवाल बनाना बताया है इस तरह से दोनों ही पक्ष विवादित दिशा में गली होना स्वीकार करते हैं। वादिनी अपीलार्थी पर यह प्रमाण भार है कि वह यह स्थापित करे कि उसके मकान के पश्चिम दिशा में जो गली है उसमें उसके द्वारा अपने प्लॉट में से 5 फुट या कुछ कम ज्यादा भूमि गली के लिये छोड़ी गई और शेष सार्वजनिक गली रही जिस पर प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के द्वारा निर्माण कर लिया है और टावर का निर्माण करा दिया है।

12. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में विवादित गली वादी/अपीलार्थी की बताते हुये प्रतिवादी का उसमें

व्यवधान उत्पन्न करना बताते हुये गली के छोड़े गये भाग 5 फुट चोड़ाई और 33 फुट लंबाई के स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा चाही है । विकल्प में यह तर्क भी किया है कि प्रतिवादी ने वांछित दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ऐसे में मामलों में दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी नक्शे होने से सीमांकन अपेक्षित है इस हेतु मामला प्रत्यावर्तित किया जाये जिसके उत्तर में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि विवाद गली को लेकर है गली सार्वजनिक है और उसे निजी होने की सहायता वादिनी ने चाही है जिसे वह प्रमाणित नहीं कर सकी है तथा प्रतिवादी का कोई अतिक्रमण नहीं है और प्रतिनिधि वाद पेश नहीं है तथा स्वयं वादिनी का प्रस्तुत बयनामा प्र0पी0'4 में प्लॉट दर्शाया है जब कि स्वयं वादिनी प्लॉट खरीदते समय उसमें दो खपरैल बनी होना स्वीकार करती है जिसका उल्लेख नहीं किया है इसलिये बयनामा संधिगद्द है और वादिनी द्वारा कोई गली नहीं छोड़ी गई बल्कि अतिक्रमण करके दीवाल बना ली और उत्तर की ओर चबूतरा बना लिया जो उनके नक्शे से स्थापित है और कोई सुखाधिकार का भी आधार नहीं लिया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है तथा सीमांकन की प्रार्थना अपील ज्ञापन में ही नहीं है इसलिये वह स्वीकार नहीं की जा सकती ।

13. प्रकरण में उभय पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है ऐसे में अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होगा दोनों पक्षों ने अपनी अपनी भूमि के क़य किये गये बयनामों पेश किये हैं । वादी/अपीलार्थी ने क़य किये गये बयनामा प्र0पी0-4 के रूप में पेश किये हैं और प्रत्यर्थी प्रतिवादी की ओर से प्र0डी0-1 का बयनामा पेश किया है किसी भी दस्तावेज का मूल्यांकन करते समय उसके निबंधनों से ही उसके संव्यवहार की प्रकृति और आशय एकत्र किया जाता है तथा निबंधनों के रूपान्तरण एवं खंडन करने वाली मौखिक साक्ष्य महत्वहीन होती है जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रमाकांत विरुद्ध सुरेशचंद्र 1990 भाग-2 एम0पी0 विकली नोट शार्टनोट 182 में मार्गदर्शित किया गया है । वादी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना है और साक्ष्य विधान की धारा 90 के तहत उनके सही होने की उपधारणा बनाई जायेगी यह सही है कि 30 वर्ष या उससे अधिक वादी के दस्तावेज के सही होने की उपधारणा धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के तहत की जाती है किन्तु उनका खंडन भी किया जा सकता है यदि सुदृढ आधार है । अभिलेख पर वादी/अपीलार्थी की ओर से प्र0पी0-1 के रूप में पूर्व स्वामी परसादी द्वारा नगरपालिका गोहद से स्वीकृत कराये गये नक्शे को पेश किया गया है । प्र0पी0-2 के रूप में स्वीकारोक्तिनामा है जो आदेश दिनांक 26-5-1963 का है तथा अनुमोदित नक्शा प्र0पी0-3 के रूप में पेश किया है । प्र0पी0-4 के रूप में पंजीकृत बयनामा दिनांकित 28-1-1992 का पेश किया गया है । वादपत्र के साथ नजरी नक्शा पेश

किया गया है और उक्त साक्ष्य में प्रस्तुत नक्शों को आधार बनाया है । प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से वादोत्तर के साथ नजरी नक्शा अवश्य पेश किया है ।

14. वादिनी/अपीलार्थी द्वारा जो भूमि प्र०पी०-4 के माध्यम से क्रय की गई है उसमें नजरी नक्शा भी तैयार किया गया था जिसके मुताबिक वादिनी/अपीलार्थी का प्लॉट कुल 1131 वर्गफुट का होकर पूर्व दिशा की ओर 46 फुट लंबा पश्चिम में 33 फुट लंबा तथा चौड़ाई में दक्षिण दिशा में 26 फुट 6 इंच और उत्तर में 31 फुट 6 इंच का है जिसमें उत्तर दिशा की ओर प्लॉट में रेंच है । दक्षिण की तरफ नगरपालिका की भूमि बताई गई है पश्चिम की तरफ गली बताई गई है उत्तर में आम रास्ता है और पूर्व में क्रेता अर्थात् वादिनी/अपीलार्थी का मकान भी बताया गया है । अर्थात् प्लॉट के रूप में भूमि क्रय की गई जब कि उसके संबंध में स्वयं वादिनी/अपीलार्थी श्रीमती जुम्मीवाई बा०सा०-1 ने पैरा-3 में यह स्वीकार किया है कि जब बयनामा कराया गया था तब एक खपरैल आगे बनी थी और एक खपरैल पीछे बनी थी जिसका पंजीकृत विक्रयपत्र प्र०पी०-4 में कोई उल्लेख नहीं है ऐसे में प्र०पी०-4 के संबंध में विरोधाभास उत्पन्न होते हैं । वादिनी के मुताबिक वह अशिक्षित ग्रामीण महिला है और हस्ताक्षर तक नहीं कर पाती है ऐसे में उसने अपनी भूमि का क्षेत्रफल हाथों में बताया जाना अवश्यक स्वभाविक है उसने पैरा-3 में ही यह बताया है कि उसने जो बयनामा कराया था वह पीछे 18 हाथ अर्थात् दक्षिण दिशा में टावर की ओर 22 हाथ अर्थात् गली की ओर जहां विवाद है आगे 20 हाथ अर्थात् उत्तर दिशा में जहां आमरास्ता है खरीदा है अभिवचनों में वह गली की तरफ साढ़े तीन फुट हाथ जगह छोड़ना बताती है किन्तु पैरा-4 में वह बयनामा वाली जगह में से साढ़े चार हाथ आगे और साढ़े तीन हाथ पीछे छोड़कर मकान 6 साल पहले बनाना बताती है और उसके कथन दिनांक 5-2-10 को हुआ है तथा वर्ष 2004 में वह अपना मकान बनाना कहती है साथ ही उसने पैरा-4 में यह भी कहा है कि उसके अनुसार उसका मकान 22 हाथ लंबा और 20 हाथ चौड़ा है इससे पैरा-3 में वह जो प्लॉट खरीदना कहती है उस पूरे पर मकान बनाना बता रही है ऐसे में उसका किसी भी दशा में गली छोड़ना खंडित होता है । दूसरी ओर उसका मूल आधार यह रहा है कि पश्चिम की गली में प्रतिवादी ने टावर लगाकर गली बंद कर दी है इसके संबंध में पैरा-5 में उसने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सूरज डूबनेवाली तरफ टावर लगा हुआ है अर्थात् पश्चिम दिशा में और टावर अनिल व मुन्नी की जगह पर ही बने हुये हैं स्वयं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा यह साक्ष्य दी है कि उसने जो आईडिया के टावर के लिये जो अपनी मां के प्लॉट पर टावर लगाने के लिये मुख्तयारआम की हैसियत से अनुबंध किया है वह अपने 30 गुणित 40 वर्गफुट के प्लॉट पर ही किया है । प्र०डी०-1 का जो बयनामा प्रतिवादी का है उसके मुताबिक उसकी मां मुन्नीदेवी जो भी प्रतिवादी/प्रत्यर्थी थी और अपील लंबित रहने के दौरान फौत हो जाने से उसे विलोपित किया गया है उसके हित का बयनामा

30 गुणित 40 अर्थात् 1200 वर्गफुट का ही है ऐसे में वादी/अपीलार्थी के वनस्पत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य अधिक प्रबल और सुदृढ प्रतीत होती है जिससे वादी अपीलार्थी का आधार खंडित होता है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ही निष्कर्षित किया है ।

15. प्र0पी0-1 और प्र0पी0-3 में जो नक्शा पेश है उनमें भी भिन्नता है क्योंकि प्र0पी0-1 के नक्शा में जो रेंच बताई गई है वह उत्तर दिशा की और है जब कि प्र0पी0-3 में वह दक्षिण दिशा की और गंदे नाले की तरफ है दक्षिण दिशा में गंदा नाला होना और वहां जाकर गली बंद होना दोनों पक्ष बताते हैं गली प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के द्वारा अतिक्रमण कर बंद कराई गई इस संबंध में भी वादिनी का अभिसाक्ष्य विचार योग्य है और वादिनी के अभिसाक्ष्य पैरा-8 में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति आई है कि गली पीछे जाकर बंद हो गई है ऐसा नहीं बताया है । प्रतिवादी ने ही बंद कर दी है और पीछे अर्थात् दक्षिण दिशा में गंदा नाला है और नगरपालिका की भूमि हैं ऐसे में पीछे जाकर गली स्वतः बंद होना ही उपधारित होगा एक और तो वादिनी प्रतिवादी द्वारा अपनी जगह पर ही टावर बनाना कहती है दूसरी तरफ वह प्रतिवादी का गली में अतिक्रमण भी कहती है जहां से उसने अपना मकान बनाना बताया है उससे विवादित गली की तरफ उसका कोई भाग छोड़ा जाना परीलक्षित नहीं होता है और जो अनुमति नगरपालिका परिषद गोहद से वादिनी के पूर्व विक्रेता द्वारा ली गई उसके तहत उपयोगिता करने के वाद कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है जैसा कि प्र0पी0-2 में आवश्यक शर्त लिखाई गई थी दूसरी और प्र0पी0-1 के नक्शा में चबूतरा की अनुमति नहीं दी गई जो कि प्र0पी0-1 मुताबिक बनाया गया प्र0पी0-3 में और एक में बरामदें का जो आकार प्रकार बताया गया है वह भी भिन्न है तथा दोनों ही नक्शों में पश्चिम की ओर गली सरकारी का उल्लेख है ऐसा उल्लेख नहीं है । वादिनी के द्वारा अनुमोदित कराये गये नक्शे मुताबिक 5 फुट चौड़ी और 33 फुट लंबी कोई गली वादिनी द्वारा या पूर्व स्वामी परसादी द्वारा छोड़ी गई ऐसे में दस्तावेजी साक्ष्य से वादिनी अपीलार्थी के द्वारा लिये गये आधार को कोई बल प्राप्त नहीं होता ।

16. पश्चिम दिशा की ओर वादिनी/अपीलार्थी के प्लॉट में रेंच नक्शा मुताबिक दर्शित नहीं होती है बल्कि वादिनी पैरा-5 में इस तरह दीवाल में रेंच बताती है और दीवाल बनते समय दरवाजा बंद करा दिया जाना प्रतिवादी द्वारा कहती है ईंटों की खिडकी वह बताती है जब कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा खिडकी रोशनदान से इंकार किया गया है । वादिनी को अपने मकान की लंबाई चौड़ाई का पता नहीं है और उसके साक्षी गफूर खां का ब्यान भी अन्दाजिया है क्योंकि पैरा-4 में गफूर खां बा0सा0-2 यह स्वीकार करता है कि उसने विवादित जमीन की नापतौल नहीं की है वह भी गली सार्वजनिक बताता है और वादिनी भी पैरा-10 में भी ऐसा स्वीकार किया है तथा वह इस बात पर भी आश्वस्त नहीं है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा उसकी जगह पर कब्जा किया है या नहीं किया



है जिसके कारण गली बंद हुई ऐसे में लिये गये वाद आधार का सुदृढ साक्ष्य से समर्थन नहीं है और सुस्थापित विधि मुताबिक कोई भी अभिवचन साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है बल्कि उसे साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है जैसा कि न्याय दृष्टांत मूलचंद्र वि० राधाशरण 2006 भाग-2 एम०पी०एल०जे० पेज 600 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है इससे भी वादी/अपीलार्थी का वाद आधार खंडित होता है और अपील में लिये गये आधार खंडित होते हैं और अपील में लिये गये आधार भी स्थापित व प्रमाणित नहीं होते हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये यह निष्कर्ष की वादग्रस्त गली वादी के स्वामित्व आधिपत्य की नहीं है व तथ्यों पर आधारित है ।

17. प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सीमाकन के विन्दु पर मामलें को प्रत्यावर्तित किये जाने की मौखिक प्रार्थना भी की है जो आधार अपील ज्ञापन में नहीं लिये गये हैं उस पर भी विचार किया गया जो अभिलेख पर तथ्य परिस्थितियां और साक्ष्य है उससे वादिनी का गली के लिये भूमि छोड़े जाने से स्थापित नहीं होता है ऐसे में प्रकरण में सीमाकन की आवश्यकता नहीं रह जाती है और जैसा वादिनी के अभिसाक्ष्य पैरा-3, 4, 5, 8 एवं 10 में स्वीकारोक्ति आई है उन्हें देखते हुये भी सीमाकन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है जहां तक गली में अतिक्रमण करने या उसे बंद करने के संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का आक्षेप किया गया है इस संबंध में मूल अभिलेख को देखने से यह स्पष्ट है कि वाद मूलतः निजी स्वत्व आधिपत्य के आधार पर पेश किया गया है प्रतिनिधि वाद के रूप में नहीं है ना उसकी कोई न्यायालय से अनुमति ली गई है तथा स्वीकृत तौर पर पश्चिम दिशा की गली सार्वजनिक है और विवादित स्थान नगरपालिका परिषद गोहद के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है किन्तु प्रकरण में वादिनी/अपीलार्थी द्वारा नगरपालिका परिषद को पक्षकार नहीं बनाया है ऐसे में भी मामला दूषित प्रकृति का हो जाता है और नगरपालिका अपनी भूमि से किसी भी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप अवरोध, अतिक्रमण, निर्माण इत्यादि को हटाने के लिये स्वयं सक्षम व समर्थ है ऐसे में भी वादिनी का वाद निर्वल हो जाता है और प्रबल संभावनाओं के चलते वादधार प्रमाणित नहीं है ऐसे में सीमाकन की मौखिक प्रार्थना भी विधि सम्मत होकर स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती ।

18. सार्वजनिक गली शासकीय तौर पर कितनी लंबाई चौड़ाई की है इसका भी कोई लेखीय प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है ऐसे में वादिनी अपीलार्थी का अभिलेख पर सर्वोत्तम साक्ष्य पेश करना भी नहीं पाया जाता है तथा साक्ष्य में यह स्वीकारोक्ति भी प्रतिवादी/प्रत्यर्थी अनिल प्र०सा०-1 की आई है कि अप्रैल 2008 में टावर लगाया जा चुका है मूल वाद 19-8-08 को पेश किया गया था किन्तु वाद लंबन काल में टावर के निर्माण बावत आज्ञापक व्यादेश की कोई प्रार्थना भी संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई है ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का घोषित आलोच्य निर्णय पुष्टि योग्य है और उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप



करने की आवश्यकता नहीं है प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील ऐसी स्थिति में बलहीन पाई जाती है अतः वाद विचार अपील निरस्त की जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 30-4-10 की पुष्टि की जाती है ।

19. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये उभय पक्षकार अपना अपना प्रकरण व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

20. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जो भी कम हो जोडा जाये ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

दिनांक-05 सितंबर, 2014

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड